

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति शिल्पा सिंह, (आई0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

रामा पुत्र उंकार भील निवासी कल्याणपुरा सूरली तहसील शाहपुरा

— वादी

बनाम

- 1- श्री गोरु पिता कल्याण खटीक निवासी तेला पाड़ा शाहपुरा
- 2-4 मु. कंचन, मु. मुन्नी, मु. डाली पिसरान कल्याण खटीक निवासी तेली पाड़ा शाहपुरा
- 5- श्री गोपाल पिता भेरु भील निवासी कल्याणपुरा सूरली
- 6- मु. लाली पुत्री भेरु भील निवासी कल्याणपुरा सूरली
- 7- मु. केली बेवा भेरु भील निवासी कल्याणपुरा सूरली
- 8-9 मु. लाडा, मु. कैलाशी पुत्री देवा भील निवासी कल्याणपुरा सूरली
- 10- श्री कालु मुतबन्ना देवा भील निवासी कल्याणपुरा सूरली
- 11- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषित कराये जाने खातेदार काश्तकार, इन्द्राज दुरुस्ती एवं
स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 28 सन् 2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब
मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वादी द्वारा वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र खारिज किया जाता है।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 19 माह 07 सन् 2021 को जारी की गई।



(शिल्पा सिंह आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.